International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 19-09-2019; Accepted: 21-10-2019
www.socialsciencejournal.in
Volume 5; Issue 6; November 2019; Page No. 94-97

भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका

निरंजन लाल मीना
राजनीति विज्ञान विभाग, श्री बॉके बिहारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय नदबई रोड, नगर, भरतपुर, राजस्थान, भारत

प्रस्तावना

किसी भी दश की राजनीतिक सुचिता का आइना उस देष में विद्यमान राजनीतिक दलों के चरित्र व व्यवहार से लगाया जा सकता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।आज राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दल या (Political Parties) के बिना राजनीति का अध्ययन अधूरा होता है ।

आज राजनीतिक दलो का राजनीति विज्ञान में सरकार के 'चतुर्थ अंग' की संज्ञा दी जाने लगी है । आज के शासन के क्षैत्र मे राजनीतिक घटनाओं का अपना अलग क्षैत्र होता है । आज हर देश राज्य में लोग राजनीतिक घटनाक्रम को बडी दिलचस्पी से देखते है । भारत का अन्य देशों में राजनीतिक घटनाओं दृश्यों आदि को लोग मीडिया इन्टरनेट के कारण घर बैठे ही लाइव के रूप मे देख लेते है । आज राजनीतिक घटनाओं का आम आदमी की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नैतिक सभी घटनाओं को राजनीतिक घटनाओं क परिप्रेक्ष्य मे देखा जाने लगा है । आज राजनीति पॉलिटिक्स शासन शब्द हर देश के बच्चो,बड़ो और बुजुर्ग लोगों की जबान पर रहता है ।

भारत में ''दलीय व्यवस्था'', की विशेषताएँः भारत की दलीय व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है :–

बहुदलीय पद्धति (Multi Party System) भारत में ब्रिटेन तथा अमरीका की तरह द्वि–दल पद्धति नहीं है वरण बहुदलीय पद्धति है, चुनाव आयोग के अनुसार मार्च 2009 में देश में सात (7) राष्ट्रीयदलों समेत 1055 राजनीतिक पार्टिया थी ।

इनमें से 48 पार्टिया राज्य स्तर की और शेष पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल थे । इनमें से कुछ को छोड़कर अन्य के पास कोई नीति अथवा कार्यक्रम नहीं था या इनके पास साधनों का अभाव था ।

व्याख्याता, (राजनीति विज्ञान) श्री बांके बिहारी महाविद्यालय नगर, भरतपुर (राजस्थान)

अप्रैल –मई 2014 में सम्पन्न 16वीं लोकसभा चुनावों के समय 1687 रजिस्टर्ड राजनीतिक दल थे, जिनमें 6 राष्ट्रीय दल, 54 राज्य स्तरीय दल तथा 1627 गैर मान्यता प्राप्त दल थे। 1687 दलों के 8200 प्रत्याशियों ने 16 वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और 1652 दलों को एक भी सीट नही मिली। फिलहाल 2300 राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। 17वीं लोकसभा में 7 राष्ट्रीय दल एवम 59 राज्य स्तरीय दल पंजीकृत थे। अभी हाल ही में सम्पन्न 17वीं लोकसभा चुनाव परिणामों में भाजपा को 58.47 प्रतिशत वोट मिले है, जबकि कॉग्रेस को 34.24 वोट मिले है । अतः एक बार फिर से राजग गठबन्धन के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी एक बार फिर से सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में बनकर उभरे है ।

क राजनीतिक दल का प्राधान्य (One Dominant Party System): चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व 'मारिस जोन्स' ने भारत की 'दलीय पद्धतिको' एक दल की प्रधानता'', वाली ''बहुदलीय पद्धति'', की संज्ञा दी थी और 1967 से 1970 के समय को छोड़कर भारतीय राजनीति की सामान्यता यह प्रवृति रही है । बहुदलीय पद्धति में सामान्यतया राजनीतिक शक्ति का बिखराव हो जाता है और कोई भी एक राजनीतिक दल इस स्थिति में नही होता कि वह अपने ही बलबूते पर सरकार का निर्णय कर सके ।

लेकिन 1967 के पूर्व भारतीय राजनीति में सामान्यतया यह स्थिति देखने में नही आई,जिसका कारण भारतीय राजनीति में कांग्रेस दल की प्रधानता थी, 1967 ई.के चतुर्थ आम चुनाव में भारतीय राजनीति में राज्य स्तर पर उस स्थिति को जन्म दिया, जिसे बहुदलीय पद्धति का स्वाभाविक परिणाम कहा जा सकता है, लेकिन 1967–70 के काल में कुछ राज्यों में जिन मिली–जुली सरकारों का निर्माण हुआ, सामान्य जनता को उनसे घोर निराशा प्राप्त हुई और विपक्षी दलों की शक्ति का पतन प्रारम्भ हो गया । अतः 1971 के लोकसभा तथा 1972 के विधानसभा चुनावों में जनता ने केन्द्र तथा अधिकांश राज्यों में अकेली सत्ता कांग्रेस को अपनी सरकार के निर्माण कर अवसरप्रदान किया ।

जनवरी 1980 के लोकसभा चुनावों के आधार पर केन्द्र में मिली जुली सरकार की स्थापना की बात सोची गयी थी, लेकिन चुनाव परिणाम इस रूप में सामने नहीं आये और भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधानता पुनः स्थापित हो गयी ।

इस प्रकार भारतीय राजनीति में 1947–66 के काल में '' भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस'' को प्रमुखता की स्थिति प्राप्त थीः 1967–70 के काल में भारत की दलीय व्यवस्थाः प्रतियोगी दलीय व्यवस्थाः के रूप में सामने आई, लेकिन 1971 में पुनः एक दल 'सत्ता कांग्रेस' को प्रधानता की स्थिति प्राप्त हो गयी और 1977 के आरम्भ तक उसे यह स्थिति प्राप्त रही।

1977–79 के काल में दलीय व्यवस्था स्पष्ट नही थी, कुछ सीमा तक यह, ''प्रतियोगी दलीय व्यवस्था,'' थी, और कुछ सीमा तक ऐसी बहुदलीय व्यवस्था जिसमें एक दल जनता पार्टी को प्रधानता की स्थिति प्राप्त थी । जनवरी 1980 के लोकसभा चुनाव और मई 1980 के विधानसभा चुनावों के फलस्वरूप इस बहुदलीय व्यवस्था में एक दल 'इन्दिरा कांग्रेस' को स्पष्ट रूप से प्रधानता की स्थिति प्राप्त हो गयी । 1984–85 के लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव परिणामों से भी 'कांग्रेसदल' की प्रधानता ही उभरी,

1989,1991,1996,1998 तथा 1999 के लोकसभा चुनावों के बाद स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया और ' एक दल' की प्रधानता के 'युग' का अन्त हुआ।

2009 में सम्पन्न 15वीं लोकसभा चुनावेां में भाजपा को 116 तथा कांग्रेस को 206 सीटें प्राप्त हुई ।

16वीं लोकसभा चुनावेां (2014) में कांग्रेस को 19.6प्रतिशत मतों के साथ 44 सीटें एवं भाजपा को 31.5प्रतिशत के साथ 282सीटें प्राप्त हुई।

दलीय राजनीति, वैयक्तिक नेतृत्व पर आधारित राजनीतिः दलीय राजनीति वैयक्ति नेतृत्व पर आधारित है और व्यक्तियों के आधार पर दलों के बिगड़ने का क्रम चलता रहता है। भारतीय राजनीति

के सर्वप्रमुख दल या शासक दल में सामान्य तथा '' एक ही व्यक्ति'' को सर्वोच्चतर की स्थिति प्राप्त रही है।
1951 से 1964 के मध्य तक श्री नेहरू को यह स्थिति प्राप्त थी और बाद में 1970–76 के काल में तथा पुनः 1980 के प्रारम्भ में श्रीमती गॉधी द्वारा इस स्थिति को प्राप्त कर लिया गया। दिसम्बर 1984 के चुनावों के बाद राजीव गॉधी की प्रभावक भूमिका उभरी । फरवरी 1998 तथा सितम्बर–अक्टूबर 1999 के लोकसभा चुनावों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्रीमती सोनिया गॉधी के व्यक्तित्व एवं शैली खासे चर्चा के विषय रहें । अप्रैल –मई 2014 के चुनावों में भाजपा ने गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी को जिस ढंग से ''जादुई व्यक्तित्व '' के तौर पर पेश किया चुनावों के, ''हाईटैक मैनेजमेंट'' ने ''मोदी लहर'', उत्पन्न करदी और ''एनडीए'' की झोली में 38.3प्रतिशत मतो के साथ 335 सीटें आ गई । इस सम्बन्ध में 1964–69 तथा 1977–79 की स्थिति अवश्य ही अपवाद रही है, लेकिन एक अन्य तथ्य यह है कि ''जब भी शासक दल में शक्तिशाली वैयत्तिक नेतृत्व का अभाव'', हुआ दल की शक्ति और दल के अन्तर्गत 'अनुशासन' दोनो में ही कमी आ गयी।

राजनीतिक दलों में विभाजन विघटन और अस्थायित्व की प्रवृतिः भारत के सभी राजनीतिक दल निरन्तर विभाजन, विघटन,बिखराव और अस्थामित्व की प्रवृति के शिकार रहे है। सर्वप्रमुख दल, ''भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस'' अब तक तीन बार विभाजित हो चुकी है।
1969ई. में. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ''का विभाजन हुआ, 1978 में ''सत्ता कांग्रेस'' का और 1995 में ''कांग्रेस ई'' का विभाजन हुआ और विभाजन होकर के कांग्रेस (तिवारी) का गठन किया गया।
1977 में गठित ''जनता पार्टी'' 1980 में मध्य में, चार जनता पार्टियों में बॅट गईः– 1– जनता पार्टी (जे.पी.), 2– भारतीय जनता पार्टी, 3– जनता 'एस'(चरण सिंह) और 4– जनता 'एस' (राजनारायण) । इस प्रकार चार 'साम्यवादी दल' है, जिनमें दो भली प्रकार संगठित है। 'जनता दल' के विभाजन से 1990 में 'जनता' (एस) बना और अजीतसिंह के अलग हो जानेसे उसका और अधिक विभाजन हो गया लालूप्रसाद यादव ने जनता दल को विभाजित कर 'राष्ट्रीय जनता दल' का गठन कर लिया। अकाली दल, अन्नाद्रमुक और क्षेत्रीय दल भी समय–समय पर विभाजित होते रहे है।
भाजपा से निकाले जाने के बाद उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने ''राष्ट्रीय क्रान्तिदल'' (1999) बना लिया । इससे पूर्व कांग्रेस से निकाले जाने के बाद शरद पंवार एवं पी.ए.संगमा जैसे नेताओं ने ''नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी'' नाम से नई पार्टी बना ली।
विशेष बात यह है कि आज एक राजनीतिक दल का गठन होता है और कल उसमें विभाजन या विद्यटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार दलीय व्यवसथा में 'अनिश्चय' और 'अस्थायित्व' की स्थिति बनी हुई है और यह'निश्चित' रू॰ से एक विकृति है।

शक्तिशाली विपक्षः 1967–70, 1977–79 और 1989–2002 के काल को छोड़कर भारतीय राजनीति में सामान्यतया कमजोर और विभाजित विपक्ष की स्थिति ही रही । 'मोरिस जोन्स' ने इस स्थिति की विवेचना करते हुए लिखा है कि 'विरोधी दलों में टूट–फूट, का कारण यह है कि उनमें आपस में ''सामाजिक सहयेाग'' कम है और दलों के ''अग्रगामी नेता'' बिना शक्ति के भी अपनी छोटी–मोटी 'टुकडियों' के नेता बने रहना चाहते है और एक 'बड़े समूह' में नही मिलना चाहते है।
लेकिन नौवी लोकसभा के चुनाव में संसद और देश की राजनीति में, ''शक्तिशाली विपक्ष'' को जन्म दिया । संसद ने कांग्रेस (इ) शक्तिशाली विपक्ष की स्थिति में था जिसे लोक सभा में 193 स्थान और राज्यसभा में बहुमत प्राप्त था। 1991 तथा 1996 के लोक सभा चुनावों के बाद भाजपा शक्तिशाली विपक्ष के रूप मे उभरी और लोकसभा में उसके क्रमशः 119 और 161 सदस्य थे । 1998 एवं 1999 लोकसभा चुनावें के बाद 'काग्रेस शक्तिशाली' विपक्ष की भूमिका के निर्वाह की स्थिति में आयी जिसके लोकसभा में क्रमशः 141 एवं 114 सदस्य निर्वाचित होकर आए। मई 2004 एवं मई 2009 के चुनावों के बाद लोकसभा में क्रमशः 138 एवं 116 सदस्यों वाली भाजपा 'शक्तिशाली' एवं 'प्रभावी' मान्यताप्राप्त 'विरोधी दल' रहा, लेकिन 16वीं लोकसभा (2014) में प्रमुख 'विपक्षी दल' कांग्रेस को मात्र 44 सीटें प्राप्त हुई और उसके नेता को मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसी प्रकार 17वीं लोकसभा में कांग्रेस को मात्र 52 लोकसभा सीट प्राप्त होना कमजोर विपक्ष का संकेत है। राज्य स्तर पर अधिकांश राज्यों में विपक्ष पर्याप्त 'शक्तिशाली' है या कम से कम उसे मान्यता प्राप्त 'विपक्षी दल' की स्थिति प्राप्त है।

अवसर वादिता की अभरती प्रवृतिः भातरीय राजनीति में 'अवसरवादिता' सदैव से विद्यमान रही है और अभी हाल ही के वर्षों में यह निरंतर उग्र रूप ग्रहण कर रही है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कुठाराघात के समान है। धन और पद के लालच में नेता मूल्यों का ताक पर रखकर अपने स्वार्थ के लिए जनता के हितों की बलि दे देते हैं। यह भारतीय मूल्यों के खिलाफ है, इसे हर हाल में रोकना होगा। रजनी कोठारी के अनुसारः– व्यक्ति का महत्व अभी भी राजनीति में बहुत है । भारत में एक ही संगठन के अभिन्न अंग अलग अलग काम करते है। एक ही दल के राष्ट्रीय और राज्य शाखाएँ प्रतिकूल दिशाओं मे चलती है। और ऐसे गुटों व तत्वों से हाथ मिलाती है जो विचारधारा और नीति में उनसे भिन्न है।
जनवरी 1980 के केरल विधानसभा चुनावों में इन्दिरा कांग्रेस, और ''जनता पार्टी'' ने परस्पर सहयोग करते हुए एक ही फ्रण्ट के अन्तर्गत चुनाव लड़ा जबकि राष्ट्रीय स्तर पर में दल एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। इस प्रकार की अवसरवादिता के अन्य अनेक उदाहरण उपलब्ध है। जैसेः– वर्तमान में अप्रैल–मई 2019 में 17वी लोकसभा चुनावों में सपा–बसपा गठबन्धन में मिलकर चुनाव लड़े जबकि कट्टर विरोधी थे।

राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रम में स्पष्ट भेद का अभावः भारत के रानीतिक दलों में नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद का अभाव है और इसी कारण वे जनता के सम्मुख स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है। इस प्रकार के विचार भेद के अभाव का एक कारण यह है कि ''आज भारत के राजनीतिक रंगमंच पर जितने भी पात्र दृष्टि गोचर होते है, उन सबको राजनीतिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय आन्दोलन में ही प्राप्त हुआ है, लेकिन इसका द्वितीय और अधिक प्रमुख कारण यह है कि स्वंय राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रम अत्यधिक अस्पष्ट और अनिश्चित है । अनेक राजनीतिक दलों के पास अपना कोई निश्चित कार्यक्रम न होने के कारण उनके द्वारा विध्वंसकारी कार्यो का आश्रय लिया जाता है और विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहित किया जाता है।

साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय दलः भारत के अनेक राजनीतिक दल साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर गठित है। ऐसे दलों में 'अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम 'द्रविड मुनेत्र कडगम ;क्ण्डण्ज्ञण्द्ध अकाली दल, हिन्दू–महासभा, मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, नेशनल कॉफ्रेस, असम–गण परिषद, सिक्किम संग्राम परिषद और अन्य अनेक दलों का नाम लिया जा सकता है। नागालैण्ड, मणिपुर,

मेद्यालय, मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश में तो ''नागालैण्ड लोकतान्त्रिक दल'' और 'मणिपुर पीपुल्स पार्टी, आदि ही प्रभावशाली है और ''अखिल भारतीय दलों'' कर प्रभाव लगभग 'नगण्य है।

लोकसभा चुनावो में तो यह साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय दल अपनी शक्ति तथा प्रभाव का सीमित परिचय ही दे पाते है, लेकिन विधानसभा चुनावों में अपनी शक्ति का परिचय देने में सफल रहते है। 1989–2005 में 'शिवसेना' ने भी अपनी शक्ति में प्रर्याप्त वृद्धि की जो एक 'क्षेत्रीय दल' है।

राजनीतिक दलों की आन्तरिक गुटबन्दीः भारत की दल प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता विभिन्न दलों की ''आन्तरिक' गुटबन्दी है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे–छोटे गुट पाये जाते है , एक वह गुट जो सत्ता में है और दूसरा असंतुष्ट गुट। इन गुटो में ''पारस्परिक मतभेद'' इस सीमा तक पाया जाता है कि कभी कभी निर्वाचन मे एक गुट के समर्थन प्राप्त उम्मीदवार को दूसरे गुट के सदस्य पराजित करने का भरसक प्रयत्न करते है। दल में ''आन्तरिक गुटबन्दी'' कांग्रेस दल में सबसे ज्यादा पायी जाती है । क्योंकि इसमें सत्ता के लिए निरूतर संघर्ष चलता रहा है, जिसका प्रभाव सम्पूर्णदल की प्रगति पर पड़ता है।

अन्य राजनीतिक दलों में भी स्थिति यही है।

राजनीतिक दल बदलः– भारत में दल–बदल की स्थिति सदैव से विद्यमान रही है, लेकिन 1967 से 1970 के वर्षो में यह प्रवृति बहुत अधिक भीषण रूप से देखी गयी।

पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश आदि राज्यों में विशेष रू‍ से यह प्रवृत्ति देखी गयी कि 'एक' राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने निर्वाचकों की अनुमति प्राप्त किये बिना ही विधानसभा में अपने 'राजनीतिक दलों की सदस्यता में परिवर्तन कर लिया गया। इस प्रकार के दल परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इन राज्यों में बहुत जल्दी –जल्दी सरकारें का पतन हुआ और 'राजनीतिक अस्थिरता' की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1971 और 1972 के लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के बाद दल–बदल की लगभग समाप्ति की आशा की गयी थी और जनता में यही आशा मार्च 1977 तथा जनवरी 1980 के लोकसभा चुनावों के बाद जागी थी, लेकिन ऐसा नही हो पाया।

मणिपुर, मेद्यालय और नागालैण्ड़ तो पिछले दो–तीन वर्षो में (1990–92) में दल–बदल की घटनाओं के कारण बड़े चर्चित रहे है। फरवरी 1998 मे उत्तर प्रदेश में कल्याणसिंह और जगदम्बिका पाल की रस्साकस्सी ने दल–बदल के इतिहास में एक नया ही कीर्तिमान कायम किया। गोवा में दल बदल के परिणाम स्वरूप 1998–99 में चार मुख्यमंत्री बने बदलें और एक बार राष्ट्रपति शासन स्थापित करना पड़ा । दल बदल राजनीतिक अस्थिरता का कारण और परिणाम दोनों ही रहा है और इसने राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का ही कार्य किया है।

निर्दलीय सदस्यों की संख्या में कमीः 1977 के लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों और 1980 के लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में निर्दलीय सदस्यों की संख्या में कमी हुई है । 1977 में लोकसभा के लिए 9, 1980 में 8 सदस्य और 1984 में मात्र 5 निर्दलीय चुने गये । 1989 में 3,712 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और मात्र 12 तथा 1991 में 5,687 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और मात्र 5 लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2009 में लोकसभा के 9 निर्दलीय उम्मीदवार निर्वाचित हुए 16वी लोकसभा चुनावों में (मई 2014) में 3,234 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और मात्र 3विजयी हुए। 17वीं लोकसभा के अप्रेल–मई 2019 में सम्पन्न हुए चुनावों में काफी निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव लडा था लेकिन इनमें से सिर्फ 4 प्रत्याशी ही विजयी हुए है।

जबकि 1967 के लोकभा चुनावों में 35 निर्दलीय चुने गये। 1996 के लोकसभा चुनावों में 10,635 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और मात्र 9 प्रत्याशी विजयी हुए 1998के चुनावो में 1,915 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और मात्र 6 लोकसभा में पहुॅचे । 1999 के लोकसभा चुनावों में 5 तथा 2009 के लोकसभा चुनावों में 9 निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर लोकसभा में पहुँचे। मई 1980 में सम्पन्न 9 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में 2,225 स्थानों में से 98 निर्दलीय चुने गये। लेकिन इन विधानसभा चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारो की बड़ी संख्या थी और उनके द्वारा लगभग 12.13प्रतिशत मत प्राप्त किये गये। ऐसी कुछ वैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे चुनाव में भाग लेने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में कमी हो जाए।

फिर से एक दलीय प्रभुत्व की सम्भावनाः वर्तमान में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं जो कि 7 सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच हुए हैं, इनमें ''मोदी सरकार एक फिर एक बार'' का नारा फलीभूत हुआ है। सात ''राष्ट्रीय दल'' चुनाव मैदान में थे।

उधर मोदी को रोकने के लिए सभी दलो ने 'महागढबन्धन' बना लिया है। मोदी सरकार आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना, पहल योजना, उज्जवला योजना, जीएसटी,नोटबन्दी, किसान सम्मान निधि योजना, पुलवामा मिशन आदि योजनाएॅ एवं मिशन चलाकर फिरसे केन्द्र में आने को बेताब है तो कांग्रेस न्याय योजना बेरोजगारी,गरीबी,आतंकवाद आदि मुद्दो को उठाकर के सत्ता में आना चाहती है। 17वीं लोकसभा के चुनावों में परिणामों के अनुसार फिर से एक बार मोदी सरकार एक सशक्त पार्टी अपने बल पर 303 सीटे प्राप्त करके पहले स्थान पर कायम रही है। तथा इसके नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी (भाजपा) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबनधन के नेता श्री मोदी ही फिर से अच्छे बहुमत व सशक्त प्रधानमंत्री के रूप मे उभरकर के भारतीय शासन और राजनीति में छा गये है, ऐसा होने से सम्भवतया भारत और भारतीय लोगों के लिए जनतंत्र और लोकतंत्र के लिए कुछ अच्छा करेगें। ऐसे प्रत्येक भारतवासी को आशाएँ हैं । केन्द्र में एक सशक्त मोदी के स्पष्ट बहुत की सरकार ने 05 अगस्त 2019 को संसद में एक विशेष प्रस्ताव लाकर के जम्मू कश्मीर में सन 1954 से चली आ रही धारा 35ए एवं 17 अक्टूबर 1949 से लागू धारा 370 के विशेष राज्य के अधिकार को हटाकर के उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभक्त करके उनकी सरकार के गृहमंत्री श्री अमित शाह ने एक कडा कदम उठाया है। जिससे पूरे भारत में एक खुशी की लहर छा गई है । लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। इससे से निष्चय ही वर्षो से पिछडे रहे जम्मू कष्मीर में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेगें।

मूल्यांकनः अन्त में यही कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में 'राजनीतिक दल' अपरिहार्य होते है। बिना राजनीतिक दलों के राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन अधूरा सा लगता है। 17वी लोकसभा के गठन के लिए भारतीय आम चुनाव देश भर में 11 अप्रेल से 19 मई,2019 के मध्य 7 चरणों में आयोजित किये गये। बिहार उत्तरप्रदेश और पश्चिमी बंगाल में चुनाव अधिकतम सात चरणो में सम्पन्न हुए।

इस चुनाव में पूरे भारत में 543 में से 542 तामिलनाडू के वेल्लोड को छोडकर चुनाव सम्पन्न हुए । चुनाव आयोग ने पहली बार लोकसभा की सभी सीटो पर एक मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल ;टटच।ज्द्ध प्रणाली का प्रयोग किया जो इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनो को ;म्टडद्ध स्लिप से जनरेट करके प्रत्येक वोट कास्ट

को रिकार्ड करेन मे ंसक्षम बनाता है।

17वीं लोकसभा मे ंदेश के 91.01 करोड मतदाता में से 67. 01प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया जो आम चुनाव के इतिहास में होने वाले अब तक का सबसे अधिक मतदान है। आम चुनाव के परिणाम 23 मई 2019 को घोषित किये गये जिसमें भातरीय जनता पार्टी ने 303 सीटो पर जीत हासिल की और अपेन पूर्ण बहुमत से बनाये रखा। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने 353 सीटे जीती। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने है। कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें जीती और कॉग्रेस के नेतृत्व वाले गठबन्धन यू.पी.ए. ने 92 सीटें जीती हैं। अन्य दलों और उसके गठबन्धन ने लोकसभा में 97 सीटें जीती हैं।

इस बार सबसे अधिक 78 महिला सांसद चुनकर आई है जो कुल का 14 प्रतिशत है। यह एक अच्छा संकेत है। इस बार 8049 उम्मीदवार मैदान में थे । इसमें से केवल 4 सांसद ही निर्दलीय चुनाव जीते हैं। 17वीं लोकसभा में भाजपा को सर्वाधिक 38.47 प्रतिशत वोट मिले जो 2014 से 8 प्रतिशत अधिक है। कांग्रेस को 22 प्रतिशत वोट मिले। भाजपा को 303, कांग्रेस को 52, डीएमके को 23, तृणमूल कांग्रेस को 22, वाईएसआर कांग्रेस को 22, जनता दल यूनाइटेड को 16, बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें प्राप्त हुई हैं। आज भारतीय राजनीति में लगातार छठे साल 2014–19 तक फिर से 303 सीटें आने से जम्मू एवं कश्मीर से विशेष अनुच्छेद 370 और धारा 35ए को संसद में बिल पेश करके हटाये जाने से भातरीय लोगों को दिखा दिया है कि केन्द्र एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार जनहित में एक सकारात्मक कदम उठा सकती है।

आज जम्मू कश्मीर में कोई भी भारतीय नागरिक विवाह, जमीन खरीदने, सिम आदि अन्य चीजे लेने, नौकरी और अन्य कारेाबार करने हेतु सक्षम हो गये हैं। अतः भारतीय राजनीति में यह सब राजनीति में दल व्यवस्था या राजनीतिक दलों के कारण ही सम्भव हो सका है।

संदर्भ सूची

1. रजनी कोठारी; भारत में राजनीति, ओरिएन्ट लॉगमेन्स, नई दिल्ली, 1972
2. द कांग्रेस सिस्टम इन इंड़िया, 1964
3. पॉलिटिक्स इन इंड़िया, नई दिल्ली, 1970
4. मायरन वीनर; पार्टी पॉलिटिक्स इन इंड़िया, दिल्ली, 1990
5. मोहित सेन; ग्लिंपसेज ऑफ दी हिस्ट्री ऑफ द इंड़ियन कम्युनिस्ट मूवमैंट मद्रास, 1997
6. मोहन राम; इंड़ियन कम्युनिज्म, दिल्ली, 1969
7. वासूकी नाथ चौधरी एवं युवराज कुमार, भारतीय शासन एवं राजनीति, ओरिएन्ट,ब्लैकस्वान, नई दिल्ली 2011
8. एच. मिफीलिंग बोस; इण्डियन गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स ब्रांच एण्ड वर्ल्ड इंक (हाईकोर्ट) न्यूयार्क 1970
9. डी. डी. बसु; इन्ट्रोडक्शन टू कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया, 2009
10. सुभाष कष्यप; हमारी संसद, 2009.
11. जोया हसन, ई.श्री धरन,आर सुदर्शनः(एडीटर्स) इण्डियास लिविंग कान्स्टीटयूशन, परमानेंट ब्लॉक्स्वान, नई दिल्ली 2006
12. अन्य स्त्रोत; इन्टरनेट, एवं समाचार पत्र